न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2022 (2022/591)

1. कृष्णगोपाल पुत्र भैरू जाति माली निवासी पारा तहसील केकड़ी हाल मुकाम केकड़ी जिला अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
——अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री नन्दकिशोर — वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांकः— 12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
75—65	2294	0.54	नहरी 2
	किता 1	रकबा 0.54 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नम्बर 2294 पर आने जाने हेतु सबसे सुगम व सरल व लघुतम रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में होगा। प्रार्थी अभी वर्तमान में अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 2298 में से होकर आ जा रहा है एवं प्रार्थी उक्त रास्ता आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उक्त खसरा नम्बर 2298 में से रिकॉर्डेड रास्ता देने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जिस पर प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 2298 में से 30 फीट चौडा रास्ता अति निकटतम रास्ता होने से उक्त रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है —
तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मोका रिपोर्ट / जवाब सरकार निम्नानुसार है—

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम पारा के खसरा नम्बर 2294 रकबा 0.54 हैक्टर किस्म नहरी 2 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी की आराजी पर वर्तमान में आवागमन के मौके पर किसी प्रकार के पदचिन्ह नही है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 2266 किस्म गै.मु.रास्ता निकलता है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है।

Scanned with OKEN Scanner

4. वर्तमान में प्रार्थी खातेदार भूमि पर खसरा नंबर 2266 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 2298 से होकर आवागमन नजदीक एवं सुविधाजनक रहेगा। खसरा नम्बर 2298 किस्म नहरी 2 जो कि सरकारी सिवायचक आराजी है।
5. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 2298 में से 56 x 4 = 224 वर्गमीटर, क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 243243/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 10897/– रूपये बनते है।
8. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

वरवक्त सुनवाई पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। पेरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम पारा के खसरा नम्बर 2298 में से 56 x 4 = 224 वर्गमीटर, क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 243243/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 10897/– (दस हजार आठ सौ सत्यानवें) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner